न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोद्रय जी राजगढ़ "ब्यावरा" जिला राजगढ़ म0प्र0

प्रकरण कमांक /अ–6/11–12/निगरानी — R - 2780-I/12

लक्ष्मीचन्द्र साहू पिता स्व0 श्री जगन्नाथ जी
नि0 ग्राम कचनारिया तह0 ब्यावरा जिला
राजगढ म0प्र0 .... अनावेदक/निगरानीकर्ता,

विरूध्द

1– म0प्र0 शासन व्दारा हल्का पटवारी
2– श्रीमति प्रीति विजयवर्गीय पत्नि श्री गोविन्द
जाति महाजन निवासी सुदामा–नगर इन्दौर
हाल मुकाम प्रेस कालोनी पचार तह0 पचोर
जिला राजगढ़ म0प्र0 ....गैर–निगरानीकर्तागण,

निगरानी अर्न्तगत् धारा 50 म0प0भू0रा0 संहिता 1959

महोदय जी,

उपरोक्त अनावेदक/निगरानीकर्ता की और से यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ब्यांवरा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 29/अ–6/11–12में पारित अन्तरिम प्रोसिंडिंग आदेश दिनांक 17–7–2012 से अत्यन्त ही दुखी व असन्तुष्ट होकर यह निगरानी , गैरनिगरानीकर्ता कमांक 2 के विरूध्द निम्नानुसार प्रस्तुत कर विनती है कि :––

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक सर्वे कमांक 1397 रकबा 0–320 हेक्टेयर स्थित ग्राम कचनारिया परगना में स्थित होकर निगरानीकर्ता के पिता की पैत्रक कृषि भूमि है निगरानीकर्ता के पिता के स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो जाने के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता व उसके भाई को अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होने से निगरानीकर्ता अपने परिवार सहित वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता के जमाने से ही काबिज–कास्त चला आ रहा है । निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि में 50 यूकेलिप्सटिक के वृक्ष लगा रखे है जिसकी देखरेख भी निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता व उसका परिवार करता चला आ रहा है इस वर्ष निगरानीकर्ता व उसके परिवार ने वादग्रस्त भूमि पर सोयाबीन की फसल हेतु हंकाई–जुताई कर सोयाबीन की फसल बो–दी है । निगरानीकर्ता व उसके परिवार के स्वामित्व व कब्जे की पेत्रक भूमि को किसी को भी विकय करने व कय करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है।दिनांक 16–6–12 को गैरनिगरानीकर्ता का पति व उनके सहयोगी वादग्रस्त भूमि पर आकर कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि कय करके रजिस्ट्री कराली है तो निगरानीकर्ता व उसके परिवार ने कहा कि हमने तो कोई भूमि बेची नहीं है न किसी को कब्जा कभी भी नहीं सोंपा न हमारे परिवार ने कोई प्रतिफल लिया । तो निगरानीकर्ता ने तहसील में आकर जानकारी ली तो मालूम हुआ कि गैरनिगरानीकर्ता कं0–2 ने नामान्तरण की अर्जी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सा0 ब्यावरा के यहां लगाई है तो निगरानीकर्ता ने उसमें अपनी आपत्ति दिनांक 18–6–12 प्रस्तुत की जिसका जवाब पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिर्पोट हेतु आदेशित किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय व्दारा प्रकरण निगरानीकर्ता की आपत्ति पर बहस हेतु व पटवारी रिर्पोट के इन्तजारी हेतु निर्धारित नहीं करके डायरेक्ट अंतिम बहस हेतु निर्धारित कर आपत्ति व पटवारी रिर्पो

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2780/एक/2012 जिला राजगढ़

लक्ष्मीचन्द्र साहू विरूध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ब्यावरा जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17/7/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	